राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–165/2013)

माणिक चन्द **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नदबई, जिला भरतपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.07.2023

<u>उपस्थित :–</u>

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील मे यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सब नाकेदार के पद पर नगरपालिका, नदबई में वर्ष 1978 को हुई थी। ऑक्टरॉय की समाप्ति के पश्चात अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया एवं अपीलार्थी को पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर समायोजित किया गया। अपीलार्थी दिनांक 30.09.2011 को सेवानिवृत्त हुआ है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन ऑर्डर दिनांक 25.05.2012 को जारी किया गया, जो कि 8 माह पश्चात जारी किया गया था एवं अपीलार्थी से 1,79,973/–रुपये सेवानिवृत्ति लाभ से वसुल किए गए। अपीलार्थी को उक्त रकम की वसुली से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अपीलार्थी से बिना किसी कारण के राशि की वसुली की गई है, जो अवैध रूप से की गई है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि नियोक्ता/विधिक भुल वश कार्मिक को देय किये गये अधिक वेतन भुगतान की वसुली हेतु स्वतंत्र है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत अनुसार– 'Amount as received by the appellant being the Public Money is always liable to be recovered even though there is no misrepresentation on the part of the appellant समपुष्ठ है उक्तानुसार उक्त काबिल निरस्त योग्य है।
3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।
4. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि उसकी सेवानिवृत्ति होने के पश्चात अपीलार्थी से बिना किसी कारण बताये 1,79,973/–रुपये की वसुली की गई

है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

> State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195
>
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
>
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
>
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
>
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
>
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
>
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

5. अतः न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि जहां कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है, तो उससे वसुली न की जाये। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के बाद उससे रकम की वसुली की गई है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वसुली किस संबंध में की गई है। प्रत्यर्थी विभाग यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी की स्वयं की गलती के कारण अधिक राशि का भुगतान किया गया हो। अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी से वसुल की गई राशि उचित नहीं है।

6. अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से ग्रेचुटी पेमेंट ऑर्डर में वसुल की गई 1,79,973/–रुपये की राशि अपीलार्थी को वसुली की दिनांक से 6 प्रतिशत ब्याज दर से लौटाई जाये। उपरोक्त आदेश की पालना 2 माह में की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा) **सदस्य**	**(अनन्त भंडारी)** **सदस्य (न्यायिक)**